*असम राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1950

(1950 का असम अधिनियम संख्यांक 13)

[30 मार्च, 1959]

असम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए
कतिपय निरर्हताओं को हटाने के लिए
उपबंध करने वाला
अधिनियम

उद्देशिका---संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के उपबंधों के अनुसार यह उपबंध करना समीचीन है कि इसमें इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक असम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होंगे ;

यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम असम राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1950 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण असम पर होगा ।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको असम राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हताओं का हटाना) अध्यादेश, 1950 (1950 का असम अध्यादेश सं0 2) प्रवर्तन में नहीं रहता ।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना---कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह इसमें संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद, [1][जब तक कि वह राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद है] को धारण करता है, कोई व्यक्ति असम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

अनुसूची

1. असम राज्य के संसदीय सचिव का पद ।
2. सरकारी प्लीडरों या लोक अभियोजक का पद ।
3. सरकारी शैक्षिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद ।
4. चिकित्सा व्यवसायी जो सरकार को अंशकालिक सेवा दे रहे हैं ।
5. गोवनबरा, चौकीदार, चाहे वे इस नाम से या किसी अन्य शीर्षक से पुकारे जाएं ।

[2][6. असम सरकार के [3][राज्यमंत्री और] उपमंत्री का पद ।]

[4][6क. असम राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव द्वारा धारित कोई पद ।]

[5][7. असम राज्य भांडागार निगम और मुख्य औद्योगिक विकास निगम और लघु उद्योग विकास निगम आदि पब्लिक सेक्टर निगमों के अध्यक्ष [6][और निदेशक तथा भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकरण के अध्यक्ष], उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

8. सरकार के अधीन कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है और जिसके लिए वेतन या फीस का पारिश्रमिक नहीं है ।

9. किसी स्वशासी जिले में मुख्य कार्यकारी सदस्य और अन्य कार्यकारी सदस्यों तथा ऐसी जिला परिषद् में राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद ।]

[7][10. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडिट कोर में धृत कोई पद ।]

[8][11. सहायक वायु सेना या वायु रक्षा रिजर्व में धृत कोई पद ।]

---

* यह प्राधिकृत हिंदी पाठ नहीं है ।

[1] 1970 के असम अधिनियम सं0 8 द्वारा जोड़ा गया ।

[2] 1950 के असम अधिनियम सं0 23 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] 1967 के असम अधिनियम सं0 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1970 के असम अधिनियम सं0 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] 1952 के असम अधिनियम सं0 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

[6] 1974 के असम अधिनियम सं0 10 द्वारा जोड़ा गया ।

[7] 1954 के असम अधिनियम सं0 14 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[8] 1957 के असम अधिनियम सं0 18 द्वारा अंतःस्थापित ।